<u>कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर</u>
(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

विशेष अभियान में थाना हरमाडा द्वारा एक माह में रिकॉर्ड 110 स्थाई–वारंटी व भगोड़ें गिरफ्तार

जयपुर 1 मई। पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर ने पूरे राजस्थान में माह अप्रेल में स्थाई वारंटी,घोषित अपराधी व फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया जिसमें थाना हरमाडा ने एक माह में रिकॉर्ड 110 स्थाई–वारंटी व भगोड़ों को गिरफ्तार किया गया। हरमाड़ा थाना निस्तारण में अव्वल नम्बर पर रहा हैं तथा संभवतः प्रदेश में किसी एक थानें ने एक माह में की गई सर्वाधिक कार्रवाई हैं।

पुलिस उपायुक्त जयपुर (पश्चिम) श्री अशोक गुप्ता ने बताया कि प्रभावी कार्यवाही व जिला जयपुर पश्चिम सफल बनाने व अधिक से अधिक गिरफ्तारी व सुपरवीजन के लिए श्री रतन सिंह अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जयपुर (पश्चिम) के निर्देशन में सर्किलवार टीमें गठित की गई जिसमें चौमू सर्किल में श्री दिनेश शर्मा सहायक पुलिस आयुक्त चौमू व श्री लखन सिंह खटाणा पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी हरमाडा के नेतृत्व में थाना हरमाडा पर अलग–अलग टीमे गठित की जाकर सुपरवीजन कर प्रतिदिन ब्रीफ किया गया जिसके फलस्वरूप थाना हरमाड़ा ने 110 स्थाई वारंटी व भगोड़ों को गिरफ्तार किया गया।

श्री अशोक गुप्ता ने बताया कि गठित टीमो में से हैड कानि महेन्द्र सिंह, रामलाल, सुलतान सिंह, रामगोपाल, रामकरण, मांगूसिंह, नरेन्द्र, सत्यवीर व कानिगण प्रकाश चन्द, सुनील, ईश्वर, अनिल, राजेश, बलदेव, बलबीर, राजबीर, बाबुलाल, रणवीर, ख्यालीराम, मैनपाल, बनवारी, जगदीश, राकेश, व महिला कानि सुदेश, निर्मला, राजकुमारी ने प्रभावी कार्यवाही करते हुये माह अप्रेल 2017 में 105 स्थाई वारंट, 02 धारा 299 सीआरपीसी में भगोडे व 03 स्थाई वारंटी दूसरे थानों के जो हरमाडा थाना क्षेत्र में निवासरत थें, की गिरफ्तारियां की गई। इसके अलावा थाना हरमाड़ा ने माह अप्रेल 2017 में 68 गिरफ्तारी वारंटो का भी निस्तारण किया गया है।

<u>इनको किया गया गिरफ्तार :–</u> अभियान के दौरान थाना हरमाडा द्वारा टीमें गठित कर 20 वर्षो से अधिक समय से फरार 08 स्थाई वारंटी, 10 वर्ष से अधिक समय से फरार 70 स्थाई वारंटी सहित 110 स्थाई वारंटियों को गिरफ्तार किया गया।

<u>5 साधू का भेष बदलकर छुप रहे स्थाई वारंटी भी गिरफ्तारः–</u> टीम के सदस्य हैड कानि श्री महेन्द्र सिह, रामलाल व कानिगण प्रकाश, सुनील द्वारा अभियान के दौरान अपराध करने के बाद पकड़े जाने से बचने के लिए सामाजिक जीवन छोडकर साधू का भेष धारण कर छुपे हुए 05

स्थाई वारंटियों को भी अथक प्रयास से ढूंढकर गिरफ्तार किया गया जिनके बारें मे उनके परिवारजन को भी कोई जानकारी नहीं थी।

थाना हरमाडा मालखाना निस्तारण में भी रहा अव्वल :– 15 मार्च से 30 अप्रेल 2017 तक पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर ने मालखाना निस्तारण के विशेष अभियान में भी प्रभावी कार्यवाही करते हुये अभियान के दौरान 172 मालखाना आईटमों का निस्तारण किया, जिसमें एनडीपीएस एक्ट, आबकारी एक्ट व अन्य मुकदमाती प्रकरणों के प्रकरणों के मालों का भी निस्तारण किया गया है।

राही/सन्तरा/352/2017

नोटः– उक्त प्रेस नोटwww.police.rajasthan.gov.inपर भी उपलब्ध है।

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर

(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

लूट के ममाले का फरार आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

जयपुर 1 मई। भरतपुर पुलिस ने सुखराम कॉलौनी थाना माहाराजपुर ग्वालियर म0प्र0 निवासी श्री गौरीशंकरपाल पुत्र बलरामपाल जाति बघेल ने गांव हाथिया थाना बरसाना जिला मथुरा यू0पी0 निवासी साजिद मेव 8–10 जनों के विरूद्ध प्रार्थी को सस्ते दामों में जनरेटर बेचने का झांसा देकर बुला लेना व गांव नरेनाचौथ के पास प्रार्थी व साथियों को हथियार का भय दिखाकर कर 90 हजार रूपये, सोने की चैन/अंगूठी व मोवाईल फोनों छिनाकर लेने का एक मामला 12 मई नबम्वर 2016 को थाना खोह पर मुकदमा पंजीबद्ध कराया था।

श्री यादराम स0उ0नि0 द्वारा बाद अनुसंधान उक्त मामले के नामजद फरार आरोपी साजिद उर्फ सुल्लत उर्फ सुल्तान पुत्र इस्लाम जाति मेव निवासी हाथिया थाना बरसाना जिला मथुरा यू0पी0 को गिरफतार कर आरोपी से गहनतापूर्वक पूछताछ जारी है।

राही/सन्तरा/353/2017

नोटः– उक्त प्रेस नोटwww.police.rajasthan.gov.inपर भी उपलब्ध है।

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर

(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

अभावग्रस्त 13 जिलों में पंजीकृत गौशालाओं को राहत सहायता स्वीकृति के दिशा–निर्देश जारी

जयपुर एक मई। गृह, आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री श्री गुलाब चंद कटारिया ने बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश के अभावग्रस्त 13 जिलों में पंजीकृत गौशालाओं को आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग द्वारा राहत सहायता स्वीकृति के दिशा–निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

श्री कटारिया ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि राहत सहायता के लिये प्रदेश के अजमेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, चूरू, जैसलमेर, जालौर,झालावाड़, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमंद, एवं उदयपुर जिलों की पंजीकृत गौशालाओं द्वारा 5 मई 17 से 30 जून 2017 तक ऑनलाइन आवेदन किये जा सकते है। उन्होंने बताया कि संबंधित जिला कलक्टर विभागीय दिशा–निर्देशानुसार 5 मई 17 से 30 जून 2017 तक की अवधि में पंजीकृत गौशालाओं के ऑनलाइन प्राप्त प्रस्तावों को ही एसडीआरएफ के मानदण्डानुसार राहत सहायता स्वीकृत कर सकेंगे। ऑफ लाइन प्राप्त प्रस्तावों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

आपदा प्रबंधन मंत्री ने बताया कि पंजीकृत गौशालाओं को ऑनलाइन आवेदन के लिये ''www.sso.rajasthan.in" पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद विभागीय एप्लीकेशन ''dmrd पर आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन करते ही sms के जरिये प्रपोजल नम्बर प्राप्त हो जायेगा।

उन्होंने बताया कि गौशालाओं द्वारा संधारित पशुओं में बड़े पशुओं के लिये 70/– रुपये तथा छोटे पशु के लिये 35/– रुपये प्रतिदिन की दर से राहत सहायता देय होगी। उन्होंने बताया कि निर्धारित दर से यह सहायता राशि उसी स्थिति में स्वीकृत की जायेगी, जब कि गौशाला संचालकों द्वारा संधारित किये जा रहे पशुओं को चारे के साथ–साथ बड़े पशुओं को एक किलोग्राम तथा छोटे पशुंओं को आधा किलोग्राम पशुआहार उपलब्ध कराया जायेगा।

––

राही/सन्तरा/354/2017

नोटः– उक्त प्रेस नोटwww.police.rajasthan.gov.inपर भी उपलब्ध है।

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर

(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

पुलिस हिरासत से भागे गजेन्द्र पर 5 हजार रूपये का ईनाम घोषित, गिरफ्तारी के लिए किया टीमों का गठन, चालानी गार्ड के दो हैड कानिस्टेबल व छः कानिस्टेबलों को किया लाईन हाजिर

जयपुर 1 मई। पुलिस अधीक्षक चुरू ने बताया कि अपराधी गजेन्द्र की जो व्यक्ति गिरफ्तार करेगा या गिरफ्तार करने में पुलिस की मदद करेगा या उसकी गिरफ्तारी के लिए सही सूचना देगा, गिरफ्तार किये जाने का विरोध करने पर विधिसंम्मत आवश्यक शक्ति का प्रयोग कर बंदी बनायेगा, उस व्यक्ति को पुलिस अधीक्षक जिला चुरु की ओर से 5 हजार रूपये का नगद पुरस्कार प्रदान किया जावेगा।

उन्होंने बताया कि पुरस्कार वितरण के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, जिला चूरू का निर्णय अन्तिम होगा।

अपराधी गजेन्द्र सिंह उर्फ गजू पुत्र सोहन सिंह जाति राजपूत उम्र 29 साल निवासी सिंगडोला बडा पुलिस थाना नेछवा जिला सीकर जो 27 अप्रेल 2017 को चालानी गार्ड सुजानगढ की हिरासत से फरार हो गया था।

राही/सन्तरा/355/2017

नोटः– उक्त प्रेस नोटwww.police.rajasthan.gov.inपर भी उपलब्ध है।